शिविर | केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद का पाण्डुताल मैदान में क्रिकेट शिविर जारी

# नवोदित क्रिकेटरों को दी जा रही नियमों की जानकारी

**नवभारत,जबलपुर,12 मई।** एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के तत्वावधान में रामपुर स्थित पाण्डुताल मैदान में आयोजित ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर इन दिनों नगर के नवोदित क्रिकेटरों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया है।

नवोदित क्रिकेट खिलाड़ियों के उत्साह व उपस्थिति के कारण यह शिविर नगर का सबसे विशाल क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर बन गया है। शिविर की खास बात यह है कि इसमें प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद की ओर से बैट, गेंद, ग्लब्स, पैड सहित अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराये गये हैं। शिविर के दौरान नवोदित खिलाड़ियों को क्रिकेट के नियमों की जानकारी समय-समय पर दी जा रही है।

### महासचिव फिरोज कुमार ने किया शिविर का निरीक्षण

केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव फिरोज कुमार मेश्राम ने मैदान में पहुंच कर क्रिकेट शिविर के प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ाया। पदाधिकारियों ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि शिविर में नगर के नवोदित क्रिकेट खिलाड़ी उत्साह से भाग ले रहे हैं और अनुशासन व समर्पण भावना के साथ मेहनत कर रहे हैं।

### 130 खिलाड़ी प्राप्त कर रहे है प्रशिक्षण

क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में 8 से 16 वर्ष तक आयु के 130 नवोदित खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें बारह लड़कियां भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को दो आयु वर्ग में विभक्त कर गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 8 से 12 वर्ष आयु तक के प्रशिक्षणार्थियों को पूर्व स्टेट लेबल अंपायर हेमंत पोतदार, पीके सेन व अमित यादव और 12 से 16 वर्ष तक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अनिल शर्मा, कुशलपाल सिंह, इकबाल खान, तरूण विजयकर व विनोद राजपूत प्रशिक्षण दे रहे हैं।

### बल्लेबाजी व गेंदबाजी के गुर सिखाएं जा रहे

पाण्डुताल मैदान में प्रशिक्षण के लिए चार सीमेंट विकेट में नेट्स लगायी गई हैं। शिविर में प्रतिदिन शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा बल्लेबाजी में ग्रिप, स्टांस, बैक लिफ्ट, डिफेंस व ड्राइव की बारीकियां समझायी जा रही हैं। गेंदबाजी में प्रशिक्षणार्थियों को एक्शन, रन-अप, स्विंग व स्पिन गेंदबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्षेत्ररक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को कैचिंग व ग्राउंड फील्डिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

# रोमांचक मुकाबले में एफ 4 अनुभाग और सीटीआर की टीम विजयी

**नवभारत,जबलपुर।** सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक खमरिया के तत्वाधान में खेली जा रही स्वर्गीय आर एस त्रिपाठी डे-नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में दो मैच खेले गए।

पहले मैच में एफ 9 स्टार 11 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 53 रन बनाए, दूसरी पारी में एफ 4 अनुभाग की टीम ने मात्र 3.5 ओवर में ही 54 रन बनाकर मैच जीत लिया। दूसरे मैच में ए-7 अनुभाग की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सीटीआर अनुभाग की टीम ने 10 ओवरों 97 रनों का स्कोर बनाया जिसमे 20 बॉल में 33 रन सुमन तिग्गा के रहे। मैच की दूसरी पारी में ए 7 अनुभाग की टीम 10 ओवरों में 83 रन ही बना सकी और मैच हार गई। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच निखिल और दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच सुमन रहे।

इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आयुध निर्माणी खमरिया के ज्योतिर्मय मंडल बाबू मांझी ,सतीश दुबे ,कुलदीप रावत ,पूरन सिंह राजपूत ,महेंद्र रजक उपस्थित रहे। निर्णायक की भूमिका विद्यापति श्रीवास्तव अपूर्व श्रीवास्तव मुकेश मैडी सुधीर सिंह ने निभाई। कॉमेंटेटर एवम स्कोरर के रूप में सुनील खत्री चंद्रमणि मरावी एवम कुणाल रहे।

# नवनिर्वाचित अध्यक्ष के साथ नई कार्यकारिणी ने ग्रहण किया पदभार

फेडरेशन ऑफ मप्र चैंबर्स का स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह संपन्न

**नवभारत,जबलपुर।** मंगलवार को भोपाल स्थित होटल कोर्टयार्ड मेरियट में प्रदेश की शीर्ष उद्योग व्यापार संस्था, फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री की वार्षिक साधारण सभा, स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ जिसमें हिमांशु खरे ने बतौर अध्यक्ष और नवीन कार्यकारिणी ने कार्यभार ग्रहण किया। आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से व्यवसायी उपस्थित थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यप्रदेश शासन के श्रम एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश शासन के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप उपस्थित रहे। कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष दीपक शर्मा ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए वार्षिक साधारण सभा में विगत वर्ष में फेडरेशन द्वारा किए गए कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया।

### उद्योगों को सशक्त बनाने की गई चर्चा

इस दौरान अध्यक्ष हिमांशु खरे ने बताया कि कार्यक्रम में उद्यमिता विकास, डिजिटल प्लेटफॉर्म, औद्योगिक विकास, आर्थिक प्रगति एवं उद्योगों को सशक्त बनाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही उद्योगों एवं श्रमिकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा नीतिगत सुधारों पर भी विचार-विमर्श हुआ। कार्यक्रम में मंत्रियों द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष हिमांशु खरे को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में भारतीय उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है तथा उद्यमियों को निर्यात की संभावनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में फेडरेशन के सचिव प्रवीण आचार्य ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

# सतारा महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई 19 सदस्यीय टीम

मप्र भारतीय शैली कुश्ती टीम हिन्द केशरी कुश्ती स्पर्धा 17 मई तक चलेगी

**नवभारत,जबलपुर।** मध्यप्रदेश भारतीय शैली कुश्ती टीम हिन्द केशरी कुश्ती स्पर्धा में भाग लेने के लिए 19 सदस्यीय टीम सतारा महाराष्ट्र के रवाना हो चुकी है। विदित हो कि 52 वीं हिन्द केशरी कुश्ती स्पर्धा एवं सीनियर/महिला राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा का आयोजन 14 से 17 मई तक, सतारा महाराष्ट्र के छत्रपति साहू स्टेडियम में भारतीय शैली कुश्ती महासंघ के तत्वाधान में विभिन्न भार वर्गों में किया गया है।

इस कुश्ती स्पर्धा में टाईटल के अलावा विभिन्न भार वजनों में भी स्पर्धा होगी, जिसमें हिन्द केशरी का खिताब जीतने वाले को महेन्द्रा थार गाड़ी एवं सात किलो चाँदी का गदा प्रदान किया जायेगा। साथ ही महिला केशरी टाईटल में ऑल्टो कार, और चाँदी का गदा भी प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा विभिन्न भार वर्गों में पुरूष वर्ग में प्रथम स्थान वाले पहलवान को बुलट गाड़ी प्रदान की जायेगी। वहीं महिला के विभिन्न वर्गों में एक्टीवा गाड़ी प्रदान की जायेगी। और द्वितीय स्थान वाले को 50,000/- रू की नगद राशि एवं तृतीय वाले को 20,000/- रू की नगद राशि प्रदान की जायेगी। यह कुश्ती स्पर्धा देश में आज तक हुई स्पर्धा में सबसे अधिक ईनाम वाली स्पर्धा है। इस पूरी स्पर्धा में लगभग 93,00,000/- रूकी ईनाम राशि रखी गई है।

### टीम में ये नाम हैं शामिल

मध्यप्रदेश भारतीय शैली कुश्ती संघ के द्वारा नवम्बर में आयोजित सागर में चयन ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों की घोषणा संघ के महासचिव अर्जुन यादव के द्वारा की गई है। जारी सूची में पुरूष वर्ग में 55 किलो भार वर्ग में धर्म पहलवान कटनी, 60 किलो में रवि पहलवान कटनी, 65 किलो में ललित पहलवान इंदौर, 70 किलो में करन पहलवान जबलपुर, 75 किलो में कमल पहलवानइंदौर, 80 किलो में अक्षय पहलवान जबलपुर, 85 सत्यम पहलवान जबलपुर, टाईटल में चेतन पहलवान जबलपुर, शुभम पहलवान कटनी, प्रिंस पहलवान जबलपुर, मुदसर पहलवान इंदौर, महिला वर्ग 48 किलो में कु माधुरी पहलवान कटनी, 52 किलो में लक्ष्मी पहलवान इंदौर, 56 किलो में गुनगुन पहलवान कटनी, 62 किलो में कु सोनम पहलवान जबलपुर, टाईटल में कुं. संजना पहलवान इंदौर, कुं. पवी पहलवान जबलपुर के नाम शामिल हैं। जिसमें टीम के मैनेजर राकेश यादव व कोच अरूण चंद्रवंशी होंगे। उक्त अवसर पर किशोरी सिंह लोधी, जयवीर सिंह, देवेन्द्र उपाध्याय, दिनेश खलीफा, विनय प्रजापति, अनिल खलीफा, प्रवीण धनगर, नर्बद खलीफा, विनोद चक्रवर्ती, जगदीश माझी, प्रवीण गुप्ता, आदि ने पहलवानों को शुभकामनाएं दीं हैं।

# वन्दना विनम्र को मिला राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मान

**नवभारत,जबलपुर।** बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध संस्थान भोपाल द्वारा दुष्यंत संग्रहालय के राज सदन में आयोजित सत्रहवें वार्षिक उत्सव एवं राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मान समारोह में वंदना सोनी विनम्र को राष्ट्रीय स्तर पर शंभूदयाल शुक्ल स्मृति बाल साहित्यकार सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान वंदना द्वारा सृजित अनेक बाल साहित्यिक कृतियों के लिए दिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉ. कुमकुम गुप्ता मुख्यअतिथि न्यायमूर्ति मनोहर ममतानी, सारस्वत अतिथि योग आयोग के अध्यक्ष डॉ. राघवेंद्र शर्मा और विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद सौरभ प्रकाश के साथ संस्था के पदाधिकारियों ने सम्मान स्वरूप अलंकरण, प्रतीक,एवं अन्य सामग्रियां प्रदान कीं। उक्त उपलब्धि पर पाथेय, वर्तिका, मंथनश्री,हिंदी लेखिका संघ, अनेकान्त,जागरण, अंतस, समवेत स्वर, ने आपका अभिनंदन किया।

# डॉ. एके जैन को सौंपा गया अनुसंधान सेवा का प्रभार

**नवभारत,जबलपुर।** जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा की अनुशंसा पर डॉ. अश्वनी कुमार जैन, प्राध्यापक पौध रोग विज्ञान को जनेकृविवि के संचालक अनुसंधान सेवाएं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. जैन 40 वर्षों के अनुसंधान, शिक्षण एवं विस्तार के अनुभव के साथ पौध रोग विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पदों में भी अपनी सेवाएं दे रहे है। डॉ. जैन पूर्व में कृषि महाविद्यालय, रीवा में 17 वर्षों तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं परीक्षा प्रभारी के रूप में 5 वर्षों तक रहे, साथ ही अखिल भारतीय लघुधान्य विकास परियोजना प्रभारी के रूप में 10 वर्षों तक कार्य किया।

लघुधान्य फसलों कोदो कुटकी की 14, जौ की एक एवं आम की एक किस्म के विकास एवं राज्य तथा केन्द्र स्तर पर विमोचित करने में आपका उत्कृष्ट योगदान रहा है। विदित हो कि अनुसंधान के क्षेत्र में आपने 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बखूबी संभाला है। आप 20 पीजी एवं पीएचडी छात्रों के प्रमुख सलाहकार भी रहे हैं। इस अवसर पर अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉ. धीरेन्द्र खरे, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी संकाय डॉ. अतुल श्रीवास्तव, अधिष्ठाता उद्यानिकी संकाय डॉ. स्वाती बार्चे, संचालक विस्तार सेवाएं डॉ. टी.आर.शर्मा, संचालक शिक्षण डॉ. अभिषेक शुक्ला, संचालक पक्षेत्र डॉ. विजय यादव, लेखानियंत्रक श्रीमति संजू तिवारी, उप लेखानियंत्रक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अजय खरे. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, डॉ. अल्पना सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ अमित शर्मा, तकनीकी अधिकारी इंजी शरद जैन, सुरक्षा अधिकारी डॉ. वाय एम शर्मा सहित विश्वविद्यालय के प्रध्यापक, वैज्ञानिक, कर्मचारी सहित अन्य ने बधाई प्रेषित की है।

# युवक के हाथ से मोबाइल झपटकर भागे एक्टिवा सवार बदमाश

**जबलपुर।** गढ़ा थाना अंतर्गत शारदा चौक के पास बीती रात एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने फोन पर बात कर रहे एक युवक को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने युवक के हाथ से कीमती मोबाइल झपटा और पलक झपकते ही रफूचक्कर हो गए। पुलिस के अनुसार शारदा चौक निवासी 30 वर्षीय दुर्गेश दुबे बीती रात अपना काम खत्म कर ऑटो से घर लौट रहा था। जैसे ही वह शारदा चौक पर उतरा तो उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। दुर्गेश कॉल रिसीव कर बात करने ही वाला था कि तभी पीछे से आए एक्टिवा सवार दो अज्ञात युवकों ने उनके हाथ पर झपट्टा मारा और मोबाइल छीन लिया। पीड़ित दुर्गेश ने बताया कि एक्टिवा चला रहे और पीछे बैठे दोनों युवकों की उम्र लगभग 27 वर्ष के आसपास थी।


## नगर पालिक निगम जबलपुर

पत्र क्रमांक - स्व.सेल/2026/पी.आर.ओ./ 170 **अधिसूचना** जबलपुर, दिनांक :- 12/05/2026

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि 18 सितम्बर 2013 को प्रकाशित भारत सरकार के राष्ट्रीय राजपत्र 2013 के अधिनियम संख्यांक 25 के तहत् के अन्तर्गत हाथ से मैला ढोने की प्रथा एवं सेप्टिक टैंक व सीवर सफाई हेतु मैन्युअल एन्ट्री बिना सुरक्षा उपकरण के पूर्णत : प्रतिबंधित हैं। अत : नगर पालिक निगम, जबलपुर की सीमान्तर्गत यह प्रथा प्रतिबंधित और गैरकानूनी हैं। उक्त कार्यवाही में लिप्त पाये जाने पर अधिनियिम के अध्याय 3 क्रमांक 8 के तहत् सभी संबंधितों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जावेगी, जिसमें न्यूनतम 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा 1 साल का कारावास का प्रावधान हैं।

2. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के परिपालन में मलबा संग्रहण एवं परिवहन हेतु अनुबंध दिनांक 03.09.2020 के अनुसार प्रति टन 392/- शुल्क निर्धारित किया गया है। इस हेतु नगर निगम हेल्पलाइन नंबर 0761-2637500 पर संपर्क किया जा सकता हैं। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण स्वच्छता पार्क कठौंदा स्थित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में किया जाता हैं।

3. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जबलपुर के समस्त वार्डो में खुले में शौच/पेशाब को पूर्णत : प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित के पश्चात् खुले में शौच/पेशाब करते पाए जाने पर रू. 500/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जायेगा।

4. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम, जबलपुर के क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छ जबलपुर, स्वच्छ जबलपुर के परिकल्पना को साकार करने के लिए समस्त घरों से एवं सभी बाजारों से कचरा संग्रहण हेतु डोर-टू-डोर प्रणाली वर्ष 2015-16 से समस्त वार्डों में लागू की गई है। इस हेतु आवासीय क्षेत्र में रुपए-1 प्रति घर प्रतिदिन तथा व्यावसायिक में रुपए-2 प्रति घर प्रतिदिन लिए जाने का उपयोगकर्ता कर अधिशोषित किया गया है।

5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत नगर पालिक निगम जबलपुर क्षेत्र की समस्त निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों, भवन निमार्ताओं एवं निमार्णाधीन भवन/मकान स्वामियों को सूचित किया जाता है कि निर्माण मलबा, ईंट, कंक्रीट, मिट्टी एवं अन्य अपशिष्ट सामग्री को सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, फुटपाथों, नालियों, बरसाती नाली एवं जल निकासी मार्गों में डालना पूर्णत : प्रतिबंधित है।

निर्माण एवं विध्वंस से प्राप्त मलबे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सामग्री का उपयोग भराव कार्य, भूमि समतलीकरण, सड़क समतलीकरण एवं अन्य स्वीकृत कार्यों में ही किया जाए।

धूल प्रदूषण नियंत्रण एवं जनस्वास्थ्य संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए समस्त निमार्णाधीन भवनों / परिसरों को ही जाली/हरी शीट से ढककर निर्माण कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। निर्माण सामग्री एवं मलबे का परिवहन भी पूर्णत : ढककर किया जाए। निर्माण स्थलों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तथा निर्माण सामग्री को सार्वजनिक मार्गों पर फैलाकर न रखा जाए, जिससे आमजन को असुविधा एवं यातायात बाधा उत्पन्न न हो। निदेर्शों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं प्रचलित नियमों के अंतर्गत नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

6. नगर निगम जबलपुर के समस्त सफाई मित्र-सफाई कर्मियों को सूचित किया जाता है कि कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत जैसे-उपस्थिति, वेतन, कार्यस्थल, सफाई उपकरण, ड्यूटी व्यवस्था आदि के संबंध में वे अपनी शिकायत ICCC कंट्रोल रूम में दूरभाष क्रमांक 0761-2637500/05 पर दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

7. स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत नगर के समस्त नागरिको, दुकानदारों, शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों को सूचित किया जाता है, कि शासन के आदेशानुसार नगर में कोई भी घर, दुकान, प्रतिष्ठान, शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय में निर्मित सेप्टिक टैंक को :IS 2470 Part 1 :IS 2470 Part 2 के मानक अनुसार निर्मित किया जाना आवश्यक है, एवं निकाय क्षेत्रान्तर्गत समस्त सेप्टिक टैंको को प्रति तीन वर्ष में खाली कराया जाना आवश्यक है, खुले में शौच व पेशाब करने पर एवं हाथ से मैला ढोने पर कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है-

| क्रं. | कार्यवाही विवरण | जुर्माना राशि |
|---|---|---|
| 1. | : IS 2470 Part 1 :IS 2470 Part 2 के मानक अनुसार निर्मित सेप्टिक टैंक निर्माण नहीं करने पर। | 5,000/- |
| 2. | सेप्टिक टैंको को प्रति तीन वर्ष में खाली नहीं करवाये जाने पर। | 5,000/- |
| 3. | हाथ से सेप्टिक टैंक खाली करवाये जाने वाले पर कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013। | 50,000/- |

| क्रं. | कार्यवाही विवरण | प्रथम बार करने पर जुर्माना राशि | पुन: करने पर जुर्माना राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | खुले में शौच व पेशाब करते पाये जाने पर। | 500/- | 1,000/- |
| 2. | शौचालय का गंदापानी मल खुले में छोड़ने पर। | 500/- | 1,500/- |

नोट :- सेप्टिक टैंक खाली करने हेतु निकाय में अथवा दूरभाष क्र. 14420, 0761-2637500/05 एवं JAN APP पर संपर्क करें।

उपायुक्त
नगर निगम, जबलपुर


# आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

**नवभारत, जबलपुर।** डॉ. मनोज कुमार सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एईडीपी पाठ्यक्रम, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना एवं अकादमी और भारतीय ज्ञान परंपरा जबलपुर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक मंगलवार को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के सभागृह में आयोजित की गई। डॉ. मनोज कुमार सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल एवं निदेशक, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के मुख्य आतिथ्य तथा अतिरिक्त संचालक, जबलपुर संभाग, जबलपुर डॉ. पंजाबराव देवलेकर की अध्यक्षता एवं प्रो. अरुण शुक्ल, संभागीय नोडल अधिकारी, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, जबलपुर संभाग, जबलपुर तथा डॉ. शिखा सक्सेना, प्राचार्य शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर की उपस्थिति में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में समस्त प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एवं शासकीय अग्रणी महाविद्यालय जबलपुर संभाग, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के एईडीपी पाठ्यक्रम जिला नोडल अधिकारी एवं स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के संभागीय नोडल अधिकारी, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के जिला नोडल अधिकारी, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभारी अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त संचालक जबलपुर संभाग जबलपुर संभाग की सहभागिता रही।


## कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारो को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को विलयत कर देता है तो सिक्योर्ड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

| देनदारों का नाम | सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण | कुल बकाया रु. | डिमांड नोटिस तिथि | कब्जा तिथि |
|---|---|---|---|---|
| श्री कमलेश केवट श्रीमती रीना केवट (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10675802) | प्लॉट संख्या 62, मौजा शुखा, खसरा संख्या 183/1/3, प्रभाग खसरा संख्या 196/3/2, शुखा रोड, पनागर, जबलपुर, मध्य प्रदेश 483113 का पूरा क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकार- भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 600.00, 600.00 | रुपये 1500437/- (रु. पंद्रह लाख चार सौ सैंतीस मात्र) | 10-02-2026 | 08-05-2026 |

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 225, नेपियर टाउन, दूसरा माला, अपोजिट वन्द्रिका टॉवर्स, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- जबलपुर
दिनांक : 13-5-2026

प्रा. अधिकारी
कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

## पश्चिम मध्य रेल

सामग्री प्रबंधन विभाग

(भंडार आपूर्ति हेतु ई- निविदा सूचना, संख्या/ईपीएस/07/2026)

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते है। कोई भी हस्तालिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नही किए जाएंगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए वेबसाईट https://ireps.gov.in पर 'ई' निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की सकती है।

| क्र. | टेंडर नं. | संक्षिप्त वर्णन | निविदा मात्रा | नियत तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38262415 | एक्सल एन्ड हाई tensile स्टील कैप स्क्रू साइज 1 DIA 8- UNC - 2A X 2 1/4 लॉन्ग | 239471 नंबर्स | 28.05.2026 |
| 2 | 20265001A | सप्लाई, इंस्टालेशन ऑफ क्लाउड बेस्ड टेम्परेचर सेंसर मॉनिटरिंग ऑफ 3 फेज लोकोमोटिव्स | 47 सेट्स | 01.06.2026 |
| 3 | 38262622 | वियर प्लेट लाइनर फॉर yoke पिन सपोर्ट प्लेट | 14781नंबर्स | 02.06.2026 |
| 4 | 38261586A | कॉपलेर yoke फॉर CBC Drg. No. SK-62724 | 4689 नंबर्स | 03.06.2026 |
| 5 | 40262750 | हाई कैपेसिटी 500 AMP 750 volt inter वेहिकुलर कॉपलेर | 124 सेट्स | 08.06.2026 |
| 6 | 61262455 | विनाइल कोटेड अपहोल्स्टरी फॉर नॉन एसी कोचेस | 45000 मीटर | 10.06.2026 |
| 7 | 38251728A | ब्रेक बीम प्राइमरी, as per KBI Part no. 1,3,5111 | 367 नंबर्स | 11.06.2026 |
| 8 | 40262023 | लो मेंटेनेंस लीड एसिड बैटरी सेट 110V 75 AH, | 51 सेट्स | 16.06.2026 |
| 9 | 40262757 | 60 KVA ट्रांसफार्मर 750 V/415 V, 3 फेज | 30 नंबर्स | 30.06.2026 |

50 लाख रूपये से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए इच्छुक फर्मों को www.http://ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है।

हस्ता.

कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर